उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुमाग—9 संख्या—//2019/xxvII(9)/स्टाम्प—10/2017 देहरादूनः दिनांक 1/2 फरवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, रिजस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) 2015 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य आवासीय योजना हेतु हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण को ग्राम आसफनगर, तहसील रूड़की में 2.435 है0 भूमि, अन्तरित किये जाने हेतु निष्पादित अन्तरण विलेखों पर रिजस्ट्रेशन फीस माफ करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

संख्या—81 (1)/2019/ xxvII(9)/स्टाम्प—10/2017 तद्दिनांक। प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 6. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रभारी एन0आई0सी0, सिचवालय परिसर, देहरादून।
- 8. गार्ड फाइल।

806

आज्ञा सं, (अनूप कुमार मिश्रा) अनु सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No 8//2019/XXVII(9)/Stamp/10/2017,
Dehradun: dated: 12 February, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by section 78 A of Registration Act, 1908 (Act no 16of 1908) The Governor is pleased to remit the Registration Fee chargeable on the Transfer of 2.435 hect. Land at Village Asafnagar, Tehsil Roorkee by way of Transfer instruments, to Hardwar- Roorkee Development Authority for Pradhanmantri Awasiya Yojana and other Awasiya Yojana under Uttrakhand Bhumi Sanyojan Yojana (Kriyanwayan) 2015.

(Amit singh Negi) Secretary, Finance

2

De